XII मुद्रा प्रबंध

भूमिका

12.1 वर्ष 2001-02 के दौरान करेंसी की मांग में पिछले वर्ष देखी गयी गिरावट के बाद बढ़ने की प्रवृत्ति पायी गयी। मुद्रा जारी करने के लिए समसामयिक आवश्यकता की पूर्ति, अर्थव्यवस्था में नये नोटों और सिक्कों की बेहतर आपूर्ति और वितरण करके की गयी। अनेक प्रकार के उपायों द्वारा जैसे करेंसी चेस्टों के नेटवर्क को बढ़ाकर, चेस्टों द्वारा विप्रेषणों के लेने और देने की प्रक्रिया में तेजी लाकर, नोटों के पैकेटों में स्टैपल न करने के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश देकर, गंदे नोटों को प्रचलन से हटाकर और उनका निपटान करके, नोटों की प्रक्रिया का यंत्रीकरण करके तथा गंदे नोटों को पर्यावरण के अनुकूल रूप में नष्ट करके, प्रचलन में नोटों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किये गये। जाली नोटों के प्रतिरोधी उपाय भारत सरकार के सहयोग तथा जनजागरण अभियान के माध्यम से जारी रहे।

मुद्रा परिचालन

12.2 मुद्रा प्रबंध के प्रमुख कार्य नोटों के डिजाइन बनाने, नये नोटों और सिक्कों को जारी करने और उनका वितरण करने, माल सूची संबंधी प्रबंध और उनको गिनने, गंदे नोटों को प्रचलन से हटाने और उनको नष्ट करने, नोटों के बदलने की सुविधा तथा जाली नोटों के प्रतिरोधी उपायों से संबंधित हैं। ये कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के देश भर में स्थित अपने 18 क्षेत्रीय निर्गम कार्यालयों/ उप-कार्यालयों तथा करेंसी चेस्टों के व्यापक नेटवर्क, रिपॉजिटरी और छोटे सिक्कों के डिपो के माध्यम से किये जाते हैं। इस समय रिज़र्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुम्बई, नवी मुम्बई (बेलापुर), नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनन्तपुरम कार्यालयों तथा भोपाल, चंडीगढ़ व लखनऊ उप-कार्यालयों में निर्गम विभाग हैं और जम्मू में एक छोटी सी विनिमय सुविधा है। रिज़र्व बैंक ने भोपाल, चंडीगढ़ तथा जम्मू - तीनों कार्यालयों की श्रेणी बढ़ाकर मुद्रा प्रबन्धन के संस्थागत ढाँचे के उन्नयन का कार्य शुरू किया है।

प्रचलन में नोट

12.3 नोटों का प्रचलन (2 रुपये और उससे अधिक) 2001-02 के दौरान 15.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2000-01 में यह वृद्धि 10.7 प्रतिशत की थी, जो कृषि गतिविधियों में तेजी को दर्शाता है। व्यापक मुद्रा ($एम_3$) की तुलना में चल मुद्रा (करेंसी) का अनुपात जो पिछले वर्ष के दौरान गिरकर 15.9 प्रतिशत रह गया था, मार्च 2002 के अंत में मामूली-सा बढ़कर 16.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट XII.1)।

चार्ट XII.1 व्यापक मुद्रा में चालू मुद्रा का अंश

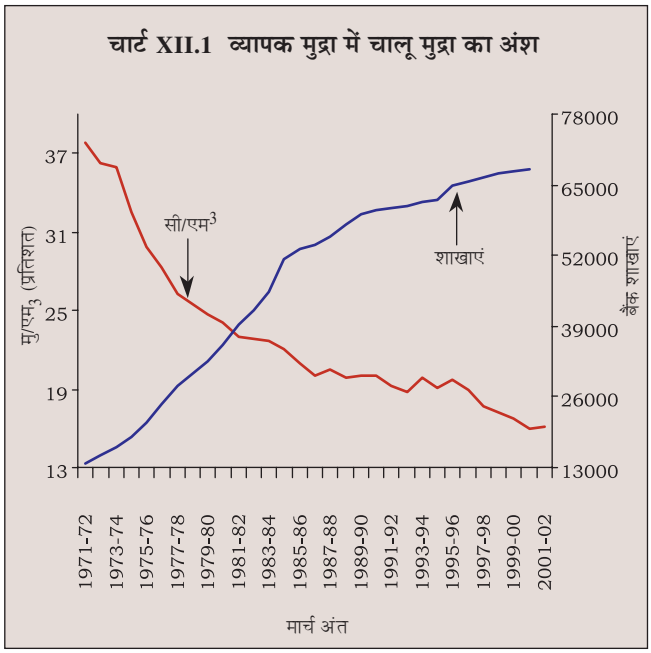

12.4 भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड जो कि रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वाधिकृत सहायक संस्था है, की 2 प्रिंटिंग प्रेसों की क्षमता के बेहतर उपयोग से तथा 2 सरकारी प्रेसों की क्षमता को बढ़ाकर वर्ष के दौरान नये नोटों की आपूर्ति में सुधार हुआ। देश में उत्पादन तथा सरकार द्वारा इस साल किये गये आयातों के माध्यम से सिक्कों की आपूर्ति में भी सुधार हुआ। 2001-02 के दौरान 71,062 करोड़ रु. के नए नोटों की आपूर्ति की गयी। जबकि सिक्कों की आपूर्ति 1,122 करोड़ रु. की रही (सारणी 12.1)।

सारणी 12.1 2001-02 के दौरान नए नोटों और सिक्कों की मांग-व आपूर्ति

	नोट		सिक्के	
	नग (मिलियन) रुपए)	राशि (करोड़	नग (मिलियन) रुपए)	राशि (करोड़
माँग पत्र	10,500	65,750	6,500	1,163
आपूर्ति	9,629	71,062	5,432	1,122

चार्ट XII.2 मूल्यवर्ग-वार जारी नोट

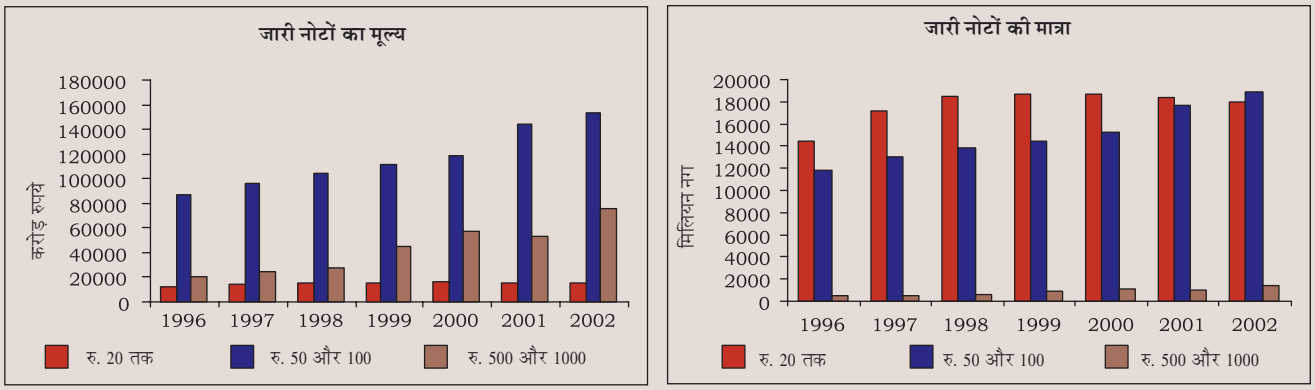

12.5 वर्ष के दौरान मूल्य और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों (500 रुपये और उससे अधिक) का अंश प्रचलन में क्रमिक रूप से बढ़ना जारी रहा (सारणी 12.2)। मार्च 2002 के अंत में, मूल्य की दृष्टि से 100 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों का अंश (48 प्रतिशत) कुल जारी नोटों में सर्वोच्च रहा। इसके बाद (28 प्रतिशत) 500 रुपये मूल्यवर्ग का स्थान रहा (चार्ट XII.2)। परिमाण की दृष्टि से, प्रचलन में नोटों की संख्या इसी अवधि के दौरान 7.3 प्रतिशत बढ़कर 38,338 मिलियन नोटों की हो गयी, जिसमें 10 रुपये और 100 रुपये के मूल्यवर्ग के नोट सर्वाधिक (प्रत्येक 31 प्रतिशत) थे। 1 रु., 2 रु., तथा 5 रुपये के सिक्कों के प्रचलन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले चार सालों में प्रचलन में रहे सिक्कों का कुल मूल्य दो गुना हो गया है (चार्ट XII.3)।

सारणी 12.2 नोटों और सिक्कों का प्रचलन : मार्चांत 2002

मूल्यवर्ग	मूल्य		मात्रा	
	करोड़ रुपए	शेयर प्रतिशत	मिलियन नग	शेयर प्रतिशत
1	2	3	4	5
नोट				
रु.2, रु.5	1,802	0.7	5,217	13.6
रु.10	11,989	4.9	11,989	31.3
रु.20	1,531	0.6	766	2.0
रु.50	35,601	14.6	7,120	18.5
रु.100	1,18,041	48.2	11,804	30.8
रु.500	68,512	28.0	1,370	3.6
रु.1000	7,179	2.9	72	0.2
जोड़	**2,44,655**	**100**	**38,338**	**100**
सिक्के@				
रु.1 नोट	308	4.9	3,076	3.8
रु.1 सिक्के	1,547	24.7	15,468	19.0
रु.2 सिक्के	1,062	16.9	5,311	6.5
रु.5 सिक्के	2,025	32.3	4,050	5.0
25 पैसे	377	6.0	15,062	18.5
50 पैसे	712	11.4	14,240	17.5
5, 10 और 20 पैसे	239	3.8	24,180	29.7
जोड़	**6,270**	**100**	**81,387**	**100**

@: एक, दो, तीन पैसे और एक आना पैसों के सिक्के जिनका, मूल्य रु. 112 करोड़ है को छोड़कर.

करेंसी चेस्ट

12.6 मुद्रा प्रबंध को प्रभावी रूप में पूरा करने के उद्देश्य में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा रखी गयी करेंसी चेस्टों और राज्य सरकार के कोषगार का नेटवर्क महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। करेंसी चेस्टों द्वारा रखा गया नोटों और सिक्कों का स्टॉक संबंधित बैंकों की नकदी प्रारक्षित अपेक्षाओं की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाता है। यह बैंक शाखाओं को निम्न स्तर पर नकदी शेष रखकर अपने परिचालन करने की सुविधा भी प्रदान करता है। करेंसी चेस्टों के कार्यों में और

चार्ट XII.3 : प्रचलन में सिक्के-मूल्य

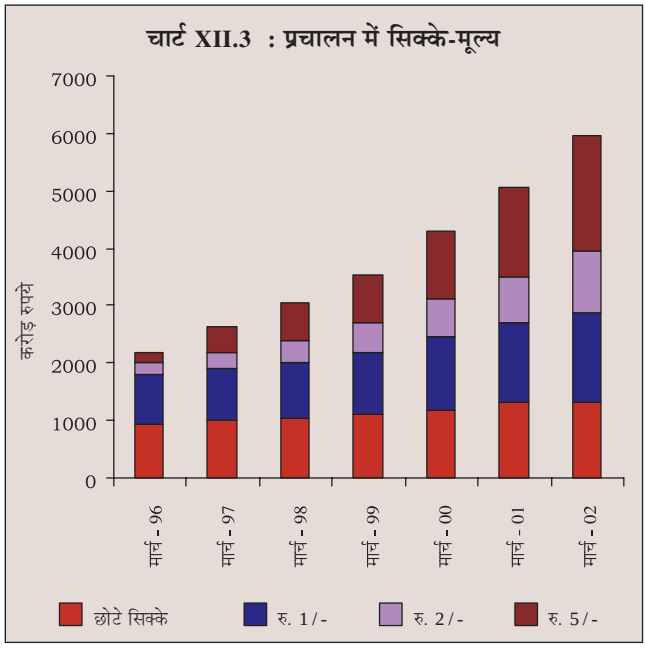

सुधार लाने तथा जिन बैंकों की शाखाओं में करेंसी चेस्ट नहीं हैं, उनकी सहायता करने के लिए ताकि वे अपनी अधिशेष नकदी को जमा कर सकें और निम्न स्तर पर नकदी शेष रख सकें, जून 2002 से चेस्ट-रहित शाखाओं से प्राप्त नोटों के प्रति पैकेट पर एक रुपये का शुल्क लगाने की अनुमति करेंसी चेस्टों को दी गयी ।

12.7 मार्च 2002 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों तथा सरकारी कोषगारों द्वारा परिचालित करेंसी चेस्टों की संख्या मार्च 2001 की 4,386 से बढ़कर 4,422 हो गयी (सारणी 12.3) । इनमें से अधिकांश करेंसी चेस्ट (कुल करेंसी चेस्टों का लगभग 70 प्रतिशत) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के पास है, इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों (19 प्रतिशत) का स्थान आता है । भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों की प्रमुख उपस्थिति इस तथ्य से झलकती है कि इस समूह की अपनी लगभग 23 प्रतिशत शाखाओं में करेंसी चेस्ट की शाखाएं हैं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास अपनी शाखाओं में से केवल 3 प्रतिशत में ही करेंसी चेस्ट हैं (चार्ट XII.4)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इसके लिए राजी करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि वे वितरण नेटवर्क की दक्षता में सुधार लाने के लिए और अधिक करेंसी चेस्ट खोलें ।

सारणी 12.3 मुद्रा तिजोरियाँ

एजेंसी का नाम	निम्न दिनांक को मुद्रा तिजोरियों की संख्या	
	मार्च 31, 2002	मार्च 31, 2001
1	2	3
राजकोष	454	453
भा. स्टे. बैंक	2,081	2,036
भा. स्टे. बैंक व उसके सहयोगी बैंक	998	1,014
राष्ट्रीयकृत बैंक	843	842
निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक*	26	22
सहकारी बैंक	1	0
रिज़र्व बैंक	19	19
कुल	**4,422**	**4,386**

* जम्मू-कश्मीर बैंक लि. की 5 तिजोरियाँ शामिल ।

डाकघर के माध्यम से सिक्कों का वितरण

12.8 सिक्कों के वितरण में बैंकिंग नेटवर्क के प्रयासों की सहायता करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि इस कार्य में डाकघरों, रेल्वे, राज्य द्वारा चलाये जा रहे परिवहन उपक्रमों आदि की सहायता ली जाये, जिनका व्यापक नेटवर्क है । डाक प्राधिकारियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र और गोवा में एक अग्रणी योजना चलायी गयी है । इस योजना के अंतर्गत मुख्य डाकघर रिज़र्व बैंक के कार्यालयों से सिक्के लेंगे और जनता में वितरण के लिए डाकघरों को प्रेषित करेंगे । योजना की जनता ने व्यापक सराहना की है । अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सूचित किया गया है कि वे इसी प्रकार की व्यवस्था करें ।

चार्ट XII.4 : मुद्रा तिजोरी

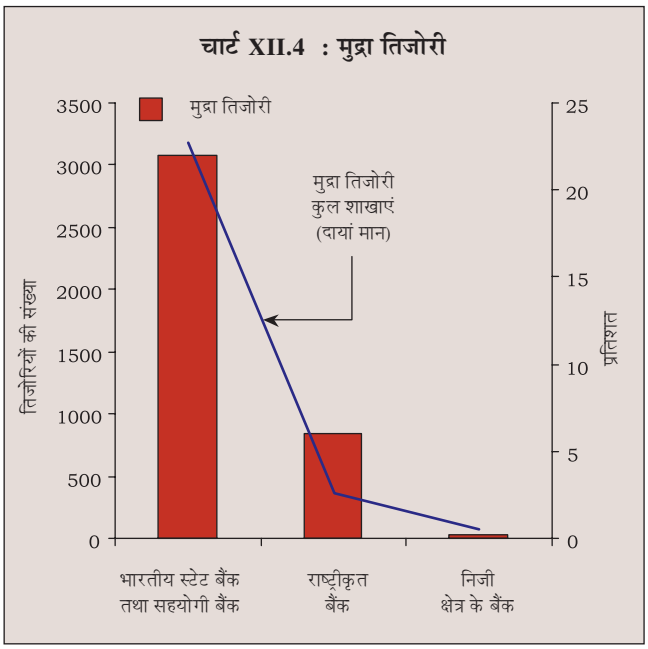

नोट निर्गम

12.9 वर्ष 2001-02 के दौरान रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी शृंखला में वाटर मार्क में महात्मा गांधी के चित्र के साथ 5 रु. और 20 रु. मूल्यवर्ग में नये डिज़ाइन के नोट जारी किये । वर्तमान में रिज़र्व बैंक 5 रु., 10 रु., 20 रु., 50 रु., 100 रु., 500 रु. और 1,000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोट महात्मा गांधी शृंखला में जारी करता है ।

स्वच्छ नोट संबंधी नीति

12.10 रिज़र्व बैंक ने प्रचलन में नोटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किये हैं । प्रचलन में नये नोट जारी करने के लिए यह आवश्यक है कि नये नोट जारी करने के साथ-साथ गंदे नोटों को प्रचलन से निकाल दिया जाए । इन दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ने मुद्रा-प्रबंध से संबंधित प्रणालियों और प्रक्रियाओं में विभिन्न परिवर्तन लागू किये हैं।

यंत्रीकरण

12.11 प्रचलन में नोटों की बढ़ती हुई मात्रा तथा वर्तमान में हाथ से की जानेवाली प्रक्रिया की सीमाओं को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने निर्गम कार्यालयों में मुद्रा प्रसंस्करण की प्रक्रिया संबंधी परिचालनों को यंत्रीकृत करने का कार्य शुरू किया है । यंत्रीकरण के पहले चरण में 9 निर्गम कार्यालयों के लिए 22 मुद्रा सत्यापन एवं प्रसंस्करण प्रणालियां (सीवीपीएस) लगायी गयीं। ये प्रणालियां नोटों को निर्गम-योग्य, गैर-निर्गम-योग्य तथा संदेहास्पद /निरस्त श्रेणी के रूप में प्राधिकृत करके छांट सकती हैं , इनमें जाली नोटों का छांटना भी शामिल है (बॉक्स XII.1) । मुद्रा सत्यापन तथा प्रसंस्करण प्रणालियां प्रति घंटे 50,000 नोटों से लेकर 60,000 नोटों को प्रसंस्कृत करने में समर्थ हैं। प्रथम चरण

बॉक्स XII.1

करेंसी सत्यापन तथा प्रसंस्करण प्रणालियां

नोट करेंसी सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली एक इलेक्ट्रॉनिक/मशीनी प्रणाली है जो नोटों की जांच करने, उनको प्राधिकृत करने, उनको गिनने, छांटने तथा ऐसे नोटों को ऑन-लाइन नष्ट करने के लिए बनायी गयी है जो आगे प्रचलन में जारी करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह प्रणाली रखे गये नोटों के मूल्यवर्ग, डिज़ाइन और गंदे नोटों के स्तर के आधार पर नोटों को छांटने में समर्थ है। आम तौर पर यह प्रणाली उन नोटों को फिट, अनफिट, निरस्त और संदेहास्पद श्रेणी में छांटती है। अनफिट नोटों को ऑनलाइन छाँट दिया जाता है। इसके अलावा फिट नोटों को इस प्रणाली से 100 नोटों के पैकेट में वापस प्राप्त किया जाता है। इन पैकटों पर इस प्रणाली द्वारा बैंड लगाया जाता है और उनकी पहचान को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके लेबल पर मूल्यवर्ग, प्रसंस्करण की तारीख, कार्यालय का नाम, ऑपरेटर कूट संख्या आदि मुद्रित की जाती है।

निरस्त और संदेहास्पद श्रेणी के नोट अलग-अलग खांचों में प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नोटों की बाद में हाथों से जांच की जाती है कि वे जाली हैं अथवा नहीं, साथ ही उन्हें अलग-अलग मूल्य वर्ग में बांटा जाता है। नोट सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली नोटों की जांच करते समय इन नोटों को उन्हें निर्गम-योग्य और गैर-निर्गम-योग्य श्रेणी में छांटते समय उनके गंदे होने के स्तरों तथा अन्य मानकों और वर्गीकरण के आधार पर एकरूपता और संगतता बनाये रखना सुनिश्चित करती है। नोटों की हाथ से जांच करने में जो व्यक्तिपरकता के तत्त्व हैं वे नोट सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली द्वारा समाप्त हो जाते हैं।

इस प्रणाली के सॉफ्टवेयर में इस तक पहुंचने के लिए व्यक्ति के अधिकार को स्तरवार करने की भी क्षमता है। यह प्रणाली निर्गम कार्यालयों की नियमित सुरक्षा के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। इस प्रणाली के साथ एक कम्प्यूटर भी लगा है जो आंकड़ों को प्राप्त और संग्रहीत करता है तथा उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्ट भी उपलब्ध कराता है।

में ये प्रणालियां बेलापुर, बंगलूर, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, नई दिल्ली और पटना में स्थापित की गयी हैं।

12.12 गंदे नोटों को साथ-साथ नष्ट करने के लिए भुवनेश्वर को छोड़कर सभी निर्गम कार्यालयों में पर्यावरण के हित में श्रेडिंग करके ईंट बनाने की प्रणाली स्थापित की गयी है (बॉक्स XII.2)। श्रेडिंग करके ईंट बनाने की प्रणाली में ऑफ-लाइन और स्वायत्त आधार पर श्रेडिंग करके ईंट बनाने की क्षमता हैं। ये मशीनें सी वी पी एस इकाइयों में तैयार धज्जियों से आन लाइन ईंट बना सकती हैं। भुवनेश्वर कार्यालय में भी श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग स्थापित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

विशेष अभियान

12.13 सीवीपीएस के अलावा रिज़र्व बैंक ने गंदे नोटों के त्वरित निपटान के लिए 2001-02 में एक विशेष अभियान चलाया जिसके परिणामस्वरूप गंदे नोटों का वार्षिक निपटान 2000-01 के दौरान 5,069 मिलियन नोटों से बढ़कर 2001-02 के दौरान 8,373 मिलियन नोटों तक पहुंच गया।

नोट-पैकटों को स्टैपल न करना

12.14 सीवीपीएस की कार्य प्रणाली सुचारु रूप से चले, यह सुनिश्चित करने के लिए करेंसी चेस्टवाली शाखाओं से यह अपेक्षित था कि वे गंदे नोटों को निर्गम कार्यालयों में भेजते समय बिना स्टैपल किए पैकेट के रूप में भेजें, क्योंकि नोटों के प्रसंस्करण के लिए इन मशीनों की यह पूर्व-अपेक्षा है। नवम्बर 2001 में रिजर्व बैंक ने जनहित में सभी बैंकों को एक निदेश जारी किया, जिसमें बैंक नोटों को स्टैपल करने की मनाही की गयी थी, तथा गंदे नोटों को बिना स्टैपल की हुई स्थिति में रिज़र्व बैंक को लौटाने तथा जनता को केवल स्वच्छ नोट जारी करने की अपेक्षा की गयी थी।

कटे-फटे नोटों को बदलना

12.15 वर्ष 2001-02 के दौरान रिज़र्व बैंक के कार्यालयों ने कटे-फटे 19.1 मिलियन नोटों से संबंधित दावों का निपटान किया, जबकि 2000-01 के दौरान 17.3 मिलियन नोटों का निपटान किया गया था। इसके अलावा भारतीय स्टैट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं में जिन्हें

बॉक्स XII.2

श्रेडिंग करके ईंट बनाने की प्रणाली (एसबीएस)

निर्गम कार्यालय में नोटों को भट्टी में जलाने के कार्य, जो कि पर्यावरण के हित में नहीं पाया था, के स्थान पर धज्जियां करके ईंट बनाने की प्रणाली शुरू कर दी गयी है। इस प्रणाली में नोटों को बंडल के रूप में रखा जाता है। इस प्रणाली में सबसे पहले नोटों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और तब उन्हें धज्जियों में बदल दिया जाता है। ये धज्जियां ऑटोमॅटिक रूप से ब्रिकेटिंग प्रणाली में डाली जाती हैं जहां, उन्हें उच्च तापमान में कम्प्रेस करके ईंट के रूप में बदल दिया जाता है।

एसबीएस दो प्रकार के हैं - अर्थात साथ-साथ ईंट बनानेवाली और बाद में ब्रिकेट बनानेवाली। साथ-साथ ईंट बनानेवाली प्रणाली में नोटों की श्रेडिंग ब्रिकेट बनाने के लिए इसके खांचों तथा नोट सत्यापन एवं प्रसंस्करण प्रणाली दोनों से स्वीकार की जाती हैं। जबकि बाद वाली प्रणाली में नोटों की धज्जियों को ईंट बनाने के लिए केवल खांचों से प्राप्त किया जाता है।

कटे-फटे नोटों को बदलने की पूरी शक्तियां दी गयी हैं, पिछले वर्ष के 23.7 मिलियन नोटों की तुलना में इस वर्ष 20.4 मिलियन नोटों के दावों का निपटान किया गया। रिज़र्व ने नोट बदलने की सुविधा के संबंध में बैंकों और आम लोगों के दिशा-निदेश के लिए मास्टर परिपत्र जारी किए।

रु. 1,2 और 5 के नोटों को बदलना तथा सिक्कों का वितरण

12.16 रु. 1,2 और 5 मूल्यवर्ग के गंदे और कटे-फटे नोटों को बदलने और सिक्कों के वितरण के विभिन्न उपाय रिज़र्व बैंक ने जारी रखे। निर्गम कार्यालयों ने मोबाइल वैनों तथा बैंक शाखाओं के माध्यम से जनता को प्रोत्साहित करने के अभियान चलाये ताकि वे अपने पास रखे ऐसे नोटों को बदल लें। करेंसी चेस्टों को ये निदेश दिये गये कि वे इन छोटे मूल्यवर्गों में गंदे और कटे-फटे नोट जनता को जारी करना बंद कर दें। निर्गम कार्यालयों को यह अनुमति दी गयी कि वे सिक्कों के विप्रेषण के लिए निजी परिवहन परिचालकों की सेवाएं ले सकते हैं। तदनुसार प्रचलन में नोटों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जैसा कि गंदे नोटों के संबंध में जनता की शिकायतों की संख्या में आयी गिरावट से प्रतीत होता है।

जाली नोट

12.17 रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय और वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं ने 2000-01 के दौरान 1.0 लाख नोट (3.3 करोड़ रुपये) की तुलना में 2001-02 के दौरान 1.2 लाख (3.4 करोड़ रुपये मूल्य के) जाली नोटों का पता लगाया। मूल्यवर्ग के अनुसार, 500 रु. के मूल्य वर्ग में पकड़े गये जाली नोटों की संख्या में गिरावट आयी है, जबकि 100 रु. और 50 रु. मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या में वृद्धि हुई है (सारणी 12.4)। पकड़े गये जाली नोटों की संख्या कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पटना में उच्च थीं।

सारणी 12.4 : पता लगाये गये जाली नोट

(नगों की संख्या)

	(अप्रैल-मार्च)	
मूल्यवर्ग	2001-02	2000-01
1	2	3
रु.1000	13	6
रु.500	53,661	56,888
रु.100	67,168	43,082
रु.50	3,013	1,832
रु.20	72	127
रु.10	588	752
कुल	1,24,515	1,02,687
मूल्य (करोड़ रुपये)	3.37	3.29

टिप्पणी: इसमें पुलिस और अन्य अनुप्रवर्तन प्रभावी एजेंसियों द्वारा जब्त किये गये जाली नोट शामिल नहीं है।

12.18 जाली नोटों के प्रचलन के कारण भोलीभाली जनता द्वारा झेली जा रही कठिनाई को दूर करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जाली नोटों को रोकने के अपने विभिन्न उपाय जारी रखे। जनजागरण के अभियान के एक भाग के रूप में 100 रु. मूल्य वर्ग के नोटों की सुरक्षा के विशेष गुण (सेक्युरिटी फीचर्स) पर एक फिल्म तैयार की गयी। यह 500 रु. मूल्य वर्ग के सेक्युरिटी फीचर्स पर तैयार की गयी फिल्म के अलावा है और इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है।

12.19 सभी बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे अपने मुख्यालयों पर जाली नोट सतर्कता कक्ष स्थापित करें जो जाली नोटों पर रिज़र्व बैंक के अनुदेशों को प्रसारित कर सके, उनकी निगरानी कर सके तथा उनके कार्यान्वयन पर अपनी शाखाओं को सूचना भेज सकें और पकड़े गये जाली नोटों संबंधी आंकड़े संकलित कर सके तथा पुलिस आदि के पास दर्ज कराये गये मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई कर सके। रिज़र्व बैंक ने बैंकों और आम जनता के लिए जाली नोटों का पता लगाने और पकड़े गये जाली नोटों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने की प्रक्रिया के संबंध में एक मास्टर परिपत्र भी जारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर करेंसी लिंक

12.20 रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक करेंसी लिंक स्थापित की है जो भारतीय करेंसी और सिक्कों से संबंधित विभिन्न पहलुओं और महात्मा गांधी श्रृंखला में वर्तमान बैंक नोट की इमेजों और सेक्युरिटी विशेषताओं, अक्सर पूछे गये प्रश्नों तथा करेंसी निर्गम पर प्रेस रिलीज़ से संबंधित है। जनता के बीच सूचनाओं के व्यापक प्रसार के लिए नोटों को बदलने से संबंधित सुविधा पर मास्टर सर्कुलर को रिज़र्व बैंक वेबसाइट पर रखा गया है।

12.21 रिज़र्व बैंक ने मुंबई में एक करेंसी म्युजियम स्थापित करने का कार्य भी शुरू किया है जिसमें वर्तमान और प्राचीन मुद्रा नोटों और सिक्कों के पुराभिलेखागार सुविधा उपलब्ध करायी गई है तथा इसमें उनके सुरक्षित रखने और भारत में करेंसी के इतिहास के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए अभिलेखागार संबंधी सुविधाएं भी शामिल हैं। संग्रहालय के नमूना डिजाइन तैयार करने और उसकी स्थापना का कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद को सौंपा गया है जिसने संग्रहालय के लिए डिजाइन का प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित करेंसी म्युज़ियम के लिए वेबसाइट को अब रिज़र्व बैंक वेबसाइट का एक अंग बना दिया गया है।

निर्गम विभाग मैनुअल के संशोधन से संबंधित कार्यकारी समिति

12.22 निर्गम विभाग के मैनुअल का संशोधन करने के प्रयोजन के लिए गठित कार्यकारी दल ने 27 जून 2002 को अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत कर दी है। इसका प्रारुप क्षेत्रीय कार्यालयों से उनकी प्रति-सूचना प्राप्त करने के लिए जारी किया जा रहा है। इसकी सिफारिशें 1 अक्तूबर 2002 से लागू कर दी जायेंगी।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ग्राहक सेवा संबंधी पहल

12.23 रिज़र्व बैंक ने सिक्कों के वितरण के लिए अनेक पहलें की हैं जैसे अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्गम विभाग के बैंकिंग हॉल में सिक्का वितरण मशीनें लगाकर और साथ ही बैंकों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसी मशीनें अपने-अपने भवनों में लगायें। क्षेत्रीय कार्यालय सिक्कों के बैग शहरी केन्द्रों में भेजने की प्रथा जारी रखे हुए हैं, जिससे कि ये सिक्के सीधे जनता को बांटे जा सकें ।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लिमिटेड

12.24 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक की पूर्णतया स्वाधिकृत एक सहायक संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है जो अपनी दो प्रेसों जो मैसूर (कर्नाटक) तथा दूसरी सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में है, के माध्यम से बैंक नोट के मुद्रण में लगा है । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 43 ए के संशोधन के परिणामस्वरूप, कम्पनी 24 फरवरी 2002 से एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनी। भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लिमिटेड ने 31 मार्च 2002 को अपने परिचालन के 6 वर्ष पूरे कर लिये हैं और मैसूर और सालबनी में इसकी प्रेस ने क्रमशः मार्च 1999 और सितम्बर 1999 से पूर्णतया परिचालन शुरू कर दिया है । जिनकी मुद्रण क्षमता रु. 5, रु. 10, रु. 20, रु. 50, रु. 100, रु. 500 और रु.1,000 के सभी मूल्यवर्गों के नोट छापने की है । ये नोट प्रेस, मुद्रण, प्रसंस्करण नियंत्रण, गणना करने, गुणवत्ता की जांच करने तथा सुरक्षित परिवेश में बैंक नोटों के उत्पादन की सुविधाओं से युक्त हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लिमिटेड, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक की परस्पर सलाह से निर्धारित किये गये उत्पादन के लक्ष्य तथा आवश्यकता के अनुसार नोटों का मुद्रण करने और रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों को उनकी आपूर्ति करने की व्यवस्था करता है ।

12.25 भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लिमिटेड ने वर्ष 2001-02 में 646.2 करोड़ रुपये के अपने कुल कारोबार में 96.8 करोड़ रुपये का करोत्तर लाभ अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष 79.6 करोड़ रुपये का करोत्तर लाभ हुआ था। भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लिमिटेड को मार्च 2001 में मैसर्स रिनिश वेस्टफेलिशिर टी.यू.वी. जर्मनी द्वारा आइएसओ 9001 : 2000 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। यह विश्व में पहला बैंक नोट प्रेस है जिसे इस प्रकार का प्रमाणपत्र दिया गया है ।

भावी योजना

12.26 एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो उप-महाद्वीपीय आयामों वाली है और जिसमें भुगतान और निपटान के लिए करेंसी प्रधान माध्यम है, नोट और सिक्कों की उपलब्धता निश्चित करना तथा प्रचलन में नोटों की गुणवत्ता बनाये रखना रिज़र्व बैंक के उद्देश्यों में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है । इस उद्देश्य के लिए मुद्रा प्रबंध हेतु संस्थागत ढांचे पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है तथा करेंसी के लिए अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप उसकी समीक्षा और विस्तार का प्रगतिशील पथ बनाया जाता है। रिज़र्व बैंक के निर्गम विभागों को आधुनिक करके विस्तारित किया जा रहा है। 14 निर्गम कार्यालयों में निर्गम के लेखांकन कार्य को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है । यह परिकल्पना की गयी है कि यंत्रीकरण के दूसरे चरण में बाकी निर्गम कार्यालयों में भी सीवीपीएस प्रणाली स्थापित कर दी जायेगी । कटे-फटे नोटों के बदलने के कार्य के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली निर्गम कार्यालयों में लागू की जा रही है । रिज़र्व बैंक ने एक परियोजना शुरू की है जिसमें नकदी परिचालन, आयोजना तथा मुद्रा प्रबंध के लिए प्रबंध, सूचना प्रणाली का कार्य कम्प्यूटरीकृत कर दिया जायेगा।

12.27 भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लिमिटेड का मूल उद्देश्य कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना के माध्यम से अपने परिचालनों में निरन्तर सुधार लाने का प्रयास करना है। इस प्रयास के क्रम में वित्त, विनिर्माण, वितरण और मानव संसाधन मोड्युलों के साथ उद्यमी संसाधन आयोजना प्रणाली (ईआरपी) को लागू करने की प्रक्रिया में है। यह ईआरपी प्रणाली कच्चे माल, उपभोग्य माल की खपत पर निरन्तर निगरानी, उसका विश्लेषण तथा मशीन के उपयोग में अभीष्टतम सुधार कर सकेगी, गैर-बुनियादी तथा ऐसी गतिविधियां जिनमें कोई मूल्यवर्धन नहीं होता है, उन्हें समाप्त कर सकेगी। ईआरपी प्रणाली अक्टूबर 2002 तक पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लिमिटेड ने एक उपयुक्त पर्यावरण प्रबंध प्रणाली स्थापित करने की दृष्टि से आइएसओ 14001 की परियोजना लागू करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य विनिर्माण प्रक्रिया के पर्यावरण पर पड़नेवाले प्रभावों को रोकना और ऐसी प्रणालियां विकसित करना है जिनके द्वारा कच्चे माल की फिजूलखर्ची को कम करके, संसाधन लागत में कटौती की जा सके।